(27)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-3119-III/14

1— खुमान तनय रिल्ली चढ़ार , 2— सोवरन तनय मोहन सौंर ,

दोंनों निबासी ग्राम नौरपारा, तह0 खरगापुर व जिला टीकमगढ़ ,

श्री .... द्वारा आज दि. 16-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.20 P.M

...............आवेदक

विरूद्ध

1— मन्नूलाल लोधी तनय बिन्द्रावन लोधी ,

2— बालचंद्र तनय अमान लोधी ,

दोंनों निबासी ग्राम नौरपारा तह0 खरगापुर व जिला टीकमगढ़ ,

3— म0प्र0 शासनद्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़,

16-9-14

.... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है:—

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 11/स्व0 निगरानी/2013—14 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 25/08/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मनपसार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 01/अ—66/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 20/05/2013 के पालन में ग्राम मनपसार की भूमि खसरा नं0 237 रकवा 0.454 है0 मद आवादी का बंटन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत ले आउट एवं उसमें दीं गई शर्तों के पालन में ग्राम पंचायत के भूमिहीनों एवं आवास हीन लोगों को किया गया था। उपरोक्त बंटन की किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई भी अपील या निगरानी नहीं की गई है। जिन जिन लोगों को बंटन किया गया था वे सभी अपनी अपनी भूमि पर काबिज भी हो गये हैं। आवेदकगण को पंचायत द्वारा 30 गुणा 30 वर्गफुट भूमि के पटटा दिनांक 18/08/2013 को जारी किये गये थे।

(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3119–तीन / 14 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–1–15	शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया । आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री कुवंरसिंह कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 3 शासन की ओर से श्री डी0के0शुक्ला पेनल लॉयर उपस्थित । प्रकरण में अनावेदक की ओर से इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2967–तीन / 14 में पारित आदेश दिनांक 10–9–14 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसमें उसी आदेश की अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अग्राह्य किया गया है, का अवलोकन किया गया । विचारोपरांत समान न्याय के सिद्धांतों के आधार पर उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी भी अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	